2006:CGHC:5078-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

(युगलपीठ)

कोरम : **माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायधीश,**

माननीय श्री डी.आर. देशमुख, न्यायधीश

रिट याचिका क्रं 162/2004

याचिकाकर्ता: जे. हुसैन, पिता स्वर्गीय सुबामिया,
उम्र लगभग 52 वर्ष,
(पूर्व यू.डी.सी., केंद्रीय विद्यालय, एलॉन्ग),
द्वारा – शबीना टाइपिंग सेंटर,
मोहन टॉकीज रोड, पोस्ट जमनीपाली,
जिला कोरबा (छ.ग.)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी:

1. भारत संघ, द्वारा सचिव,
शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास
मंत्रालय, 301, सी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
2. उप आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन
18, इन्स्टिच्यूशनल एरिया, शहीद जीत
सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016
3. सहायक आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन,
मालीगांव चरिआली, गुवाहाटी –– 781012
4. प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय, पोस्ट अराइमाइल,
तुरा, पश्चिम गारो हिल्स, मेघालय 794001

5. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण,

जबलपुर पीठ, जबलपुर (म.प्र.)

याचिकाकर्ता की ओर से – श्री अमृतो दास, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रं 1 से 4 की ओर से – श्री नारायण श्रीवास्तव, उत्तरवादी अधिवक्ता।

आदेश

(20.04.2006)

न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक आदेश **एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश** द्वारा पारित:

1) यह रिट याचिका उत्तरवादीगण द्वारा याचिकाकर्ता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में सेवा से पृथक करने की अधिरोपित शास्ति से उत्पन्न हुई है। संक्षिप्त में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2) याचिकाकर्ता वर्ष 1977 से केंद्रीय विद्यालय संगठन का कर्मचारी था। वर्ष 1999–2000 के दौरान, याचिकाकर्ता मेघालय राज्य स्थित केंद्रीय विद्यालय, तुरा में अपर श्रेणी लिपिक के पद पर पदस्थ था। याचिकाकर्ता को केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1965 (संक्षिप्त में "सीसीए नियम") के नियम 14 तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 20 के प्रावधानों के तहत दिनांक 2/3–8–2000 का आरोप पत्र यह आरोप लगाते हुए जारी किया गया कि याचिकाकर्ता ने 24/5/2000 को लगभग 11:30 बजे पूर्णतया नशे की हालत में प्राचार्य के कार्यालय में बलपूर्वक प्रवेश किया और इस प्रकार कदाचार किया तथा सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3 (i) (ii) (iii) का उल्लंघन किया। याचिकाकर्ता ने अपना उत्तर दाखिल किया। उत्तर में, याचिकाकर्ता ने यह स्वीकार किया कि जब उसने प्राचार्य के कार्यालय में प्रवेश किया, वह नशे की स्थिति में था, किन्तु प्राचार्य के कार्यालय में बलपूर्वक प्रवेश करने के आरोप से इनकार किया तथा शराब के सेवन के लिए बिना शर्त क्षमा याचना की और अनुशासनिक प्राधिकारी से मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने तथा उसे क्षमा करने का अनुरोध किया। सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन, गुवाहाटी, यहां उत्तरवादी क्रं 3, ने दिनांक 31/8/2000 का आदेश पारित करते हुए कथित कदाचार के लिए अनुशासनात्मक मानदंड के रूप में याचिकाकर्ता को सेवा से पृथक कर दिया।

3) उक्त उत्तरवादी क्रं 3 के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने सीसीए नियमों के नियम 23 के तहत उप आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, यहां उत्तरवादी क्रं 2, के समक्ष अपील की।

उत्तरवादी क्रं 2 ने दिनांक 03/09–07–2001 के अपने आदेश द्वारा अपील खारिज कर दी। उत्तरवादी क्रं 2 एवं 3 के उपरोक्त दोनों आदेशों से आहत याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (संक्षिप्त में "अधिकरण") जबलपुर पीठ, बिलासपुर कैम्प के समक्ष ओ.ए. क्रं 770/2001 दायर की । अधिकरण ने यह मत व्यक्त किया कि याचिकाकर्ता ने उसके विरुद्ध लगाए गए कदाचार को स्वीकार कर लिया है और इसलिए, जांच करना आवश्यक नहीं था तथा पूर्व में भी उसे इसी प्रकार के कदाचार के लिए चेतावनी दी गई थी, अतः याचिकाकर्ता को कोई राहत देने से इनकार कर दिया, और तदनुसार दिनांक 24/9/2003 के अपने आदेश द्वारा ओ.ए. क्रं 770/2001 को खारिज कर दिया। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

4) हमने पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ताओं को सुना।

5) याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि दिन के समय शराब का सेवन करना तथा विद्यालय के प्राचार्य के कार्यालय में प्रवेश करना निर्विवाद रूप से विद्यालय के कर्मचारी से अपेक्षित आचरण नहीं है, किन्तु यह आचरण अपने आप में सेवा से पृथक करने के कठोर दंड को आकर्षित नहीं करता। विद्वत अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस मामले की परिस्थितियों में सेवा से पृथक करने का अत्यंत कठोर दंड अनुचित था, विशेषकर इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने स्वयं अपनी गलती को समझते हुए शराब के सेवन को स्वीकार किया जब उसने विद्यालय के कार्यालय में प्रवेश किया और अपने कदाचरण के लिए बिना शर्त क्षमा याचना की तथा अनुशासनिक प्राधिकारी से उसने क्षमा करने का अनुरोध किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6) पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या उत्तरवादी क्रं 3 द्वारा लगाया गया तथा उत्तरवादी क्रं 2 द्वारा अनुमोदित सेवा से पृथक करने का अत्यंत कठोर दंड, इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कदाचार की गंभीरता के अनुपात में माना जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों, **बी.सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ एवं अन्य**[1]**, भारत संघ बनाम गणयुथम**[2] तथा **ओम कुमार बनाम भारत संघ**[3] द्वारा यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का पुनर्विलोकन करते समय, उचित मामलों में, न्यायालय आनुपातिकता के सिद्धांत तथा युक्तियुक्तता के वेडनेसबरी नियम का प्रयोग करने का अधिकारी है। यह अभिनिर्धारित एवं पुनः स्पष्ट किया गया है कि यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति, मामले की परिस्थितियों में, न्यायालय की विवेकशीलता को आघात पहुंचाता है तथा न्यायालय यह सोचता

[1] AIR 1996 SC 484
[2] (AIR 1997 SC 3387)= (1997) 7 SCC 463
[3] AIR 2000 SCW 4361

है कि यह पूर्णतः अनुचित, मनमाना तथा अपचारी द्वारा किए गए कदाचार की गंभीरता के अनुपात में नहीं है, तो न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हस्तक्षेप कर सकता है और शास्ति को कम कर सकता है। आनुपातिकता का सिद्धांत प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक पुनर्विलोकन के आधारों में से एक के रूप में स्थापित हो चुका है। आनुपातिकता का सिद्धांत वह है जो शक्ति के प्रयोग की सीमा को उन साधनों तक सीमित करता है जो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुपाती हों। दूसरे शब्दों में, आनुपातिकता का सिद्धांत यह प्रावधानित करता है कि अनुशासनात्मक मानदंड वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक कठोर नहीं होने चाहिए। आनुपातिकता का सिद्धांत न्यायालय को यह आकलन करने हेतु बाध्य करता है कि क्या अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही वास्तव में आवश्यक थी तथा क्या यह उन कार्यवाहियों की सीमा के भीतर थी जिनका युक्तियुक्त रूप से अनुसरण किया जा सकता था। यह सत्य है कि सामान्यतः न्यायिक पुनर्विलोकन निर्णय के विरुद्ध नहीं बल्कि निर्णय–निर्माण प्रक्रिया के विरुद्ध निर्देशित होती है। दंड के चयन एवं मात्रा का प्रश्न अनुशासनिक प्राधिकारी के अधिकारिता एवं विवेकाधिकार में है। किन्तु अनुशासनात्मक मानदंड कदाचार एवं अपचारी के अनुरूप होना चाहिए। यह प्रतिशोधात्मक या अत्यधिक कठोर नहीं होना चाहिए। यह कदाचार की प्रकृति एवं प्रकार के सापेक्ष इतना असंगत नहीं होना चाहिए कि वह न्यायालय की विवेकशीलता को आघात पहुंचाए तथा स्वयं में पक्षपात या प्रतिशोध का प्रमाण हो। न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा के भाग के रूप में आनुपातिकता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करेगा कि यहां तक कि उस पहलू पर भी, जो अन्यथा अनुशासनिक प्राधिकारी के अनन्य क्षेत्र में है, यदि प्राधिकारी का निर्णय यहां तक कि दंड के रूप में एक अनुशासनात्मक मानदंड के संबंध में भी, तर्क एवं तर्कसंगतता की घोर अवमानना है, तो दंड सुधार से प्रतिरक्षित नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अतार्किकता एवं अनुचितता न्यायिक पुनर्विलोकन के मान्य आधार हैं। यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लिया गया अनुशासनात्मक मानदंड घोर असंगत है, तो वह निर्णय न्यायिक परीक्षण से प्रतिरक्षित नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7) **काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस यूनियन्स बनाम मिनिस्टर फॉर सिविल सर्विस**[4] में लॉर्ड डिप्लॉक ने अवलोकित किया:

"*मेरे विचार में न्यायिक पुनर्विलोकन आज एक ऐसे चरण में विकसित हो चुकी है जहां, विकास के चरणों का कोई विश्लेषण दोहराए बिना, प्रशासनिक कार्यवाही पर न्यायिक पुनर्विलोकन द्वारा नियंत्रण के आधारों को तीन शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले आधार को मैं 'अवैधता', दूसरे को 'अतार्किकता' तथा तीसरे को 'प्रक्रियात्मक अनौचित्यता' कहूंगा। यह कहना*

[4] (1984)3 ALL ER 935 : (1984) 3 WLR 1174 : (1985)AC 374

नहीं है कि मामला–दर–मामला विकास समय के साथ–साथ आगे के आधार नहीं जोड़ सकता। मैं विशेष रूप से भविष्य में 'आनुपातिकता' (के सिद्धांत के संभावित अपनाने को ध्यान में रखता हूँ।"

8) **आर. बनाम बामसली मेट्रोपोलिटन बोरो काउंसिल, एक्स पार्टे हुक**[5] में, जहां एक स्टॉल धारक पर सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने के लिए लगाया गया दंड (अर्थात उसका बाजार लाइसेंस रद्द करना), जिसे **लॉर्ड डेनिंग एमआर** ने "दंड अत्यधिक कठोर था" कहा।

9) **हिंद कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कं. लि. बनाम देअर वर्कमेन**[6] में, कुछ कर्मकारों ने एक विशेष दिन को छुट्टी मानकर कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर उन्हें सेवा से निष्काषित कर दिया गया। औद्योगिक अधिकरण ने इस कार्यवाही को अपास्त कर दिया। अधिकरण के आदेश की पुष्टि करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुपस्थिति को अवैतनिक अवकाश माना जा सकता था। कर्मकार को चेतावनी दी जा सकती थी और जुर्माना लगाया जा सकता था। उच्चतम न्यायालय ने कहा*: "यह सोचना असंभव है कि कोई भी युक्तियुक्त नियोक्ता इस तरह से अपने पूरे स्थायी कर्मचारियों पर निष्काषित करने का कठोर दंड लगाता।*"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) **भगत राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य**[7] में, उच्चतम न्यायालय ने कहा: "*यह समान रूप से सत्य है कि अधिरोपित शास्ति कदाचार की गंभीरता के अनुपात में होना चाहिए और कदाचार की गंभीरता के अनुपात में कोई भी अनुपातिक शास्ति संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।*"

11) **रणजीत ठाकुर बनाम भारत संघ**[8] में, एक सेना अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के वैधानिक आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया (उसे दिया गया भोजन खाने से इनकार)। कोर्ट मार्शल कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा एक वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया। उसे सेवा से भी पदच्युति कर दिया गया, साथ ही यह अयोग्यता जोड़ी गई कि वह भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्य होगा। उक्त आदेश को दंड की घोर अनुपातहीनता के आधार सहित चुनौती दी गई। तर्क को स्वीकार करते हुए, काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस यूनियन (पूर्वोक्त) का अनुसरण करते हुए तथा इस बात पर जोर देते हुए कि "सभी शक्तियों की कानूनी सीमाएं होती हैं", न्यायमूर्ति वेंकटचलैया (तत्कालीन) ने अवलोकित किया:

> "*दंड के चयन एवं मात्रा का प्रश्न कोर्ट–मार्शल के अधिकारिता एवं विवेकाधिकार में है। किन्तु दंड अपराध एवं अपराधी के अनुरूप होनी चाहिए। यह प्रतिशोधात्मक*

[5] (1976) 3 All ER 452
[6] AIR 1965 SC 917 (919-20) : (1965)2 SCR 85
[7] AIR 1983 SC 454 at 460
[8] (1987) 4 SCC 611: AIR 1987 SC 2386

या अत्यधिक कठोर नहीं होनी चाहिए। यह अपराध के सापेक्ष इतनी अनुपातहीन नहीं होनी चाहिए कि वह विवेकशीलता को आघात पहुंचाए और स्वयं में पक्षपात का निर्णायक प्रमाण हो। न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा के भाग के रूप में आनुपातिकता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करेगा कि यहां तक कि उस पहलू पर भी, जो अन्यथा कोर्ट–मार्शल के अनन्य क्षेत्र में है, यदि कोर्ट का निर्णय यहां तक कि दंड के संबंध में भी तर्क की घोर अवमानना है, तो सजा सुधार से प्रतिरक्षित नहीं होगी। अतार्किकता एवं विपरीतता न्यायिक पुनर्विलोकन मान्य आधार हैं।"

12) **सरदार सिंह बनाम भारत संघ**[9] में, भारतीय सेना में सेवारत एक जवान को छुट्टी मिली और अपने गृहनगर जाते समय, उसने सेना कैंटीन से ग्यारह बोतल रम खरीदी जबकि वह केवल चार बोतलें ले जाने का हकदार था। कोर्ट मार्शल कार्यवाही में, उसे तीन महीने के कठोर कारावास का दंड दिया गया और उसे सेवा से भी निष्काषित कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उसकी याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय की शरण ली। कार्यवाही को मनमाना और दंड को कठोर मानते हुए, उच्चतम न्यायालय ने आदेश को अपास्त कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13) यहां एक ऐसा मामला है, जहां यह दर्शाने के लिए कुछ भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है कि याचिकाकर्ता आदतन शराबी था और नियमित रूप से या अक्सर नशे की हालत में विद्यालय परिसर में आता था। याचिकाकर्ता के साक्ष्य में यह आया है कि घटना दिवस को, छुट्टी के लिए आवेदन करने के बाद, वह बाजार गया था और उसके मित्रों ने उसे शराब पेश की; उसने उसका सेवन किया और चूंकि शराब का सेवन उसके लिए एक नया अनुभव था, शराब के सेवन के तुरंत बाद उसे नींद आने लगी और घर लौटते समय, उसे याद आया कि उसने अपनी कुछ वस्तुएं विद्यालय परिसर में छोड़ दी थीं और इसलिए, वह अपनी छूटी हुई वस्तुओं को लेने के लिए विद्यालय परिसर में आया। यह अनुशासनिक प्राधिकारी का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता ने नशे की हालत में, विद्यालय परिसर में प्रवेश कर किसी भी कर्मचारी या प्राचार्य के साथ दुर्व्यवहार किया या कोई उत्पात किया आदि। निर्विवाद रूप से, विद्यालय का कर्मचारी होने के नाते विद्यालय परिसर में जाते समय शराब का सेवन करना ही एक आपत्तिजनक आचरण है और इस आचरण को विद्यालय प्रबंधन द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, किन्तु साथ ही, ऐसे मामलों में विद्यालय प्रबंधन द्वारा की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुच्छेद 14 की मान्यताओ, अर्थात विवेकाधीनता, निष्पक्षता, आनुपातिकता तथा गैर–मनमानेपन के सिद्धांतों

[9] (1991) 3 SCC 2113 : AIR 1992 SC 417

द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। अपचारी पर लगाया जाने वाला शास्ति अनुच्छेद 14 के मान्यताओ के आलोक में कदाचार की गंभीरता के अनुपात में विवेकयुक्त एवं अनुपाती होना चाहिए। याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता ने हमारे समक्ष यह कहा कि याचिकाकर्ता एक विवाहित व्यक्ति है जिसके परिवार में समर्थन हेतु कई आश्रित हैं और चूंकि वह रोजगार से बाहर है, पूरा परिवार गरीबी एवं असहनीय कठिनाई में है। मामले की समग्र तथ्यात्मक परिस्थितियों, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कदाचार की गंभीरता तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि के परिप्रेक्ष्य में, हम इस विचारित मत के हैं कि सेवा से पृथक करने का कठोर दंड, जिसे आर्थिक मृत्युदंड माना जाता है, तथा जो अनुचित होने पर अनुच्छेद 21 के अधिकार का उल्लंघन करता है, उसके द्वारा किए गए कदाचार की गंभीरता की तुलना में अत्यधिक कठोर एवं विवेकशीलता को आघात पहुंचाने वाली रूप से अनुपातहीन है। इस दृष्टिकोण से, हम अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हस्तक्षेप कर शास्ति में कमी करने के पक्ष में हैं।

14) परिणामस्वरूप एवं उपर्युक्त कारणों से, रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, तथा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के स्थान पर जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था, हम याचिकाकर्ता को केवल पेंशन परिलाभों के प्रयोजन से सेवा की निरंतरता सहित बहाल करने का निर्देश देते हैं। हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता बिना किसी संचयी प्रभाव के दो वार्षिक वेतन वृद्धियों का हकदार नहीं होगा। साथ ही, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता कोई भी बकाया वेतन का हकदार नहीं होगा। हमारे विचार से उपरोक्त शर्तों से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी। कोई वाद व्यय नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/– **सही/–**

मुख्य न्यायाधीश **दिलीप रावसाहेब देशमुख न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... MANISH CHANDRAKAR